भा.कृ.अनु.प. - केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान

I.C.A.R. - CENTRAL INSTITUTE FOR ARID HORTICULTURE

Beechwal, Bikaner (Rajasthan) - 334006

बीछवाल, बीकानेर (राजस्थान) - ३३४००६

पत्रावली क्रमांक: 07(ii)06/CS/Auction of Farm Produce/2024-25 4924-4928 दिनांक: 23.10.2024 24

संस्थान के प्रक्षेत्र में खेजड़ी के लगभग 400 नग वृक्षों (इसमें कलमी वृक्ष शामिल नहीं है) की वार्षिक छंगाई करनी है, जिसकी नीलामी दिनांक 05.11.2024 को 11.00 बजे संस्थान प्रक्षेत्र में की जावेगी।

नियम व शर्तें:

1. खेजड़ी की केवल पतली शाखओं छंगाई करनी है अर्थात पूर्व में की गई छंगाई के बाद की वानस्पतिक वृद्धि की ही छंगाई करनी है।
2. पाले/लकड़ी पर अनुबंधक का अधिकार होगा।
3. पाले/लकड़ी को छंगाई के तुरन्त बाद प्रखंडों से बाहर रखना होगा।
4. किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाले नुकसान की जिम्मदारी संस्थान की नहीं होगी।
5. अनुबंधक के कार्य संपादन हेतु लगाये जाने वाले श्रमिकों के भुगतान एवं उनके प्रति सभी उत्तरदायित्वों के निर्वहन की पूर्ण जिम्मेदारी अनुबंधक की होगी।
6. संस्थान कार्य दिवसों में सुबह 8 बजे से सांय 5 बजे तक कार्य किया जा सकता है एंव गेट पास प्राप्त कर कार्य के निष्पादन के दौरान पाले व छंगाई से प्राप्त लकड़ी की निकासी की जा सकती है।
7. संस्थान की सम्पती को किसी भी प्रकार की क्षति पहुचती है तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी अनुबंधक की होगी।
8. नीलामी में भाग लेने के लिये प्रत्येक इच्छुक व्यक्ति को बयाना राशि के रुप में **₹ 5000/- (₹ पांच हजार मात्र)** जमा कराने होगें।
9. जिस फर्म/व्यक्ति के नाम से बोली स्वीकृत होगी, उसी सफल बोलीदाता को कार्य प्रारंभ करने का अनुबंध (नोन-जुडिशियल स्टाम्प पेपर) एवं सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार करने पर कार्यादेश जारी किया जायेगा एंव उसके उपरान्त ही अनुबंधक द्वारा कार्य शुरु किया जा सकेगा।
10. सफल बोलीदाता को नीलामी राशि की 50 प्रतिशत राशि मौके पर ही जमा करवानी होगी तथा शेष राशि पत्र मिलने के तीन दिवस में जमा करवानी होगी एवं ऐसा नहीं करने पर प्रथम सफल बोलीदाता द्वारा जमा 50 प्रतिशत राशि संस्थान द्वारा जब्त कर ली जायेगी। साथ ही उसके पक्ष में स्वीकृत बोली को रद्द कर दिया जायेगा। इस स्थिति में द्वितीय अधिकतम बोली दाता की बोली स्वीकार करने या पुनः नीलामी आयोजित करने का अधिकार संस्थान के पास सुरक्षित रहेगा।
11. ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि संस्थान के फार्म प्रक्षेत्र एवं परिसर में वृक्षों के बगीचे या उसके आस-पास आग जलाना प्रतिबंधित होगा। यदि किसी प्रकार का नुकसान होता है, तो इसकी भरपाई ठेकेदार को करनी होगी।
12. संस्थान से अधिकार पत्र/कार्यादेश जारी होने के **45 दिन** में कार्य पूर्ण करना होगा।
13. बोली की राशि पर लगने वाले किसी प्रकार के स्थानीय करों इत्यादि के भुगतान की पूर्ण जिम्मेदारी सफल बोलीदाता की ही होगी एवं संस्थान किसी प्रकार से उतरदायी नही होगा।

14. संस्थान में कार्यरत बन्दी श्रमिकों को **उक्त कार्य** के लिये नही लगाना होगा। अन्यथा ठेका तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जावेगा।

15. **किसी भी प्रकार** के भण्डारण, रख-रखाव, परिवहन एवं अन्य किसी भी संबंधित कार्य हेतु संस्थान किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नही करायेगा।

16. **अनुबंधक** (सफल बोलीदाता) की बयाना राशि (Earnest Money) का पुर्नभुगतान (Refund) **कार्य समाप्ति** एवं प्रभारी फार्म/ प्रभारी सम्पदा द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (No Dues Certificate) जारी करने पर ही किया जायेगा। इस हेतु ठेकेदार को संस्थान द्वारा जारी मूल रसीद (TR-5) को आवेदन के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

20. अधिकतम बोलीदाता के हक में बोली छोडने या न छोडने का अधिकार संस्थान के सक्षम **अधिकारी** के पास सुरक्षित रहेगा एवं उनका निर्णय ही अंतिम होगा।

सहायक **प्रशासनिक अधिकारी**

वितरण : By Email

1. सूचना पट्ट - कार्यालय भवन, भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर।
2. सूचना पट्ट - प्रक्षेत्र कार्यालय भवन, भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर।
3. सूचना पट्ट - राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केन्द्र, पोस्ट बोक्स सं.07 जोडबीड, शिवबाडी, बीकानेर।
4. सूचना पट्ट - केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, मरु क्षेत्रीय परिसर, बीछ्वाल औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर।
5. सूचना पट्ट - राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केन्द्र,, पोस्ट बोक्स सं.08, जोडबीड, शीवबाडी, बीकानेर।
6. सूचना पट्ट - केन्द्रीय शुष्क क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, प्रादेशिक अनुसंधान केन्द्र, बंगलानगर, बीकानेर।
7. सूचना पट्ट - स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविधालय, बीछ्वाल, बीकानेर।
8. सूचना पट्ट - राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविधालय, विजय भवन पैलेस परिसर, पशु चिकित्सा विश्वविधालय रोड, दीन दयाल उपाध्याय सर्किल के नजदीक, बीकानेर - 334001।
9. प्रभारी फार्म - भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर ।
10. प्रभारी, ए.के.एम.यु., भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर को निविदा सूचना शर्तो सहित संस्थान की वैब साईट पर अपलोड करने एवं CPP Portal पर अपलोड करने हेतु।
11. अध्यक्ष/सदस्य अनुबंध समिति, भाकृअनुप–के.शु.बा.सं., बीकानरे।

mail